THE MINISTER OF STATE OF THE DEPTT. OF LEGAL AFFAIRS, LEGISLATIVE DEPTT. AND DEPTT. OF JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP) (a) and (b) The recommendations of Dinesh Goswami Committee and certain other proposals on electoral reforms are under consideration of the Government and a package on electoral reforms is likely to be finalised, shortly.

गुजरात में तीर्थ स्थलों का विकास

*188. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:
श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात में विकास के लिए तीर्थ स्थलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए कोई वित्तीय आवंटन किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने सोमनाथ और द्वारका के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए कोई विशेष योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जैना): (क) और (ख) पर्यटक स्थलों का अभिनिर्धारण और विकास एक सतत् प्रक्रिया है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा पर्यटन के विकास के लिए वित्तीय सहायता राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों, धन की उपलब्धता आदि के आधार पर मुहैया की जाती है।

वर्ष 1996-97 के लिए, राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु पांच परियोजनाएं अभिनिर्धारित की गई हैं। इन परियोजनाओं में द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर की प्रकाश-पुंज व्यवस्था, मोधेरा में सूर्य मंदिर को पुनः चमकाना, और अंबाजी में जन-सुविधाएं शामिल हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग को गुजरात सरकार से ऐसी कोई योजनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं।

आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचारों की घटती लोकप्रियता

*189. श्री अजीत जोगी:
श्री एस० एस० सुरजेवाला:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले समाचारों की लोकप्रियता कम होती जा रही है;

(ख) क्या लोग आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा प्रसारित समाचारों की अपेक्षा विदेशी और निजी टी० वी० नेटवर्कों द्वारा प्रसारित समाचारों पर अधिक विश्वास करते हैं;

(ग) क्या समाचारों के संकलन हेतु दूरदर्शन के पास अपना नेटवर्क नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहिम): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। दूरदर्शन का अपना स्वयं का नेटवर्क है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Non-Compliance of RBI's Instructions by Allahabad Bank

*190. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report which appeared on 'Business & Finance' page of 'Statesman', Calcutta, dated the 7th April, 1996, regarding bridge loan facility extended by Banks/FIs to M.S. Shoes Ltd.;

(b) whether Government's/RBI's instructions have not been complied with by Allahabad Bank; if so, the details of action taken so far, including staff accountability; and

(c) whether the penalty of Rs 5 lakhs imposed by RBI on the above bank has been debited in its profit and loss account, if so, the reasons of such violation of administrative norms?;

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) The Reserve Bank of India (RBI) has reported that Allahabad Bank failed to ensure fully the end-use of bridge loan sanctioned to M.S. Shoes East Ltd. (MSEL). Allahabad Bank therefore, became liable to be proceeded against under Section 47-A of the Banking Regulation Act, 1949 for violating RBI guidelines with regard to ensuring end-use of bridge loan proceeds. RBI imposed a penalty of Rs. five lakhs on Allahabad Bank, which has been paid. Allahabad Bank was also asked to fix staff accountability for the lapses. The bank has initiated disciplinary proceedings against an officer for not ensuring the end-use of funds.

(c) Allahabad Bank has reported that the penalty of Rs. five lakhs was paid by it by debit to Charges Account (Miscellaneous) and that this was done in terms of the accounting principles.

Ahmedabad Airport as International Airport

*191. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that with the declaration of Ahmedabad Airport as international airport, there is a need for a separate domestic airport in order to cope with domestic rush of passengers;

(b) whether it came to the notice of Government that Gandhinagar, the capital of Gujarat, has no airport/railway station which is against the policy of Government whereby every State capital is required to be connected by air and railway traffic; and

(c) if so, whether Government propose to provide a domestic airport at Gandhinagar?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI CM. IBRAHIM): (a) Ahmedabad airport has not been declared as an International airport. However, the existing terminal buildings ind other infrastructure cater to both domestic and international flights.

(b) Gandhinagar, the capital of Gujarat, is located at a distance of 14 cms. from Ahmedabad airport, and is Well connected by air to the rest of the country. There is also a Railway Station it Gandhinagar which is open for passenger traffic.

(c) No, Sir.

देश में एड्स के रोगी

***192. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष, राज्यवार कितने एड्स रोगियों का पता चला है;

(ख) इस समय देश के अस्पतालों में कितने एड्स रोगियों का उपचार चल रहा है;

(ग) इनमें से पुरुष और महिला रोगियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(घ) क्या उक्त वर्षों के दौरान, गुजरात में भी एड्स के रोगियों का पता चला है; और

(ङ) सरकार ने इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार के लिए अस्पतालों में क्या व्यवस्था की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है। (नीचे देखिए)।

(ख) और (ग) तकरीबन 1458 एड्स रोगियों (1089 पुरुष और 369 महिला) के अस्पतालों में उपचार प्राप्त किए जाने की सूचना है।

(घ) जी, हां।

(ङ) एड्स रोगियों का भेदभाव रहित उपचार करने के लिए प्रत्येक शहरी स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र के कम से कम एक चिकित्सा अधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया है।